

बिहार सरकार
मंत्रिमंडल सचिवालय (राजभाषा) विभाग
(उर्दू निदेशालय)

का० आ० सं० उ०नि०- 17/2013...25.../रा०,

पटना, दिनांक 28/6/2013.

उर्दू निदेशालय के निम्नांकित उर्दू अनुवादकों को उनके नाम के सामने स्तम्भ-4 में अंकित कार्यालय में स्थानांतरित कर तत्कालिक प्रभाव से पदस्थापित किया जाता है।

क्रमांक	कर्मचारी का नाम	वर्तमान पदस्थापन कार्यालय	प्रस्तावित स्थानांतरण कार्यालय का नाम
1	2	3	4
1	श्री अजां हुसैन	उजियारपुर प्रखण्ड, समस्तीपुर,	सदर अनुमंडल, दरभंगा,
2	" हैदर आगा सुलतान	सदर प्रखण्ड, पूर्णिया,	बैसा प्रखण्ड, पूर्णियाँ
3	" मो० शब्बीर अहमद	बाढ़ अनुमंडल, पटना,	दानापुर अनुमंडल, पटना
4	" मो० नसीम अहमद	सिंधिया प्रखण्ड, समस्तीपुर,	समाहरणालय, दरभंगा
5	" सैयद अमीन अहमद,	बौसी प्रखण्ड, बांका,	सदर अनुमंडल, भागलपुर
6	" मो० कलीमुल्लाह	सदर प्रखण्ड, पूर्वी चम्पारण	समाहरणालय, भोजपुर (आरा)
7	" मो० सेराजउद्दीन	समाहरणालय, भोजपुर (आरा)	शेखपुरा अनुमंडल, शेखपुरा
8	" मो० जसीम अहमद	गायघाट प्रखण्ड, मुजफ्फरपुर	समाहरणालय, पटना
9	श्रीमती हमीदा बनो	समाहरणालय, पटना	बाढ़ अनुमंडल, पटना

2/ उक्त सभी स्थानांतरित/पदस्थापित कर्मी अपने नये पदस्थापन स्थान पर आदेश निर्गत की तिथि से 15 दिनों के अन्दर योगदान देकर अपने नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से मुख्यालय को सूचित करेंगे।

3/ सभी सम्बद्ध कार्यालय प्रधान, सम्बद्ध उर्दू कर्मी को 15 दिनों के अन्दर उन्हें उनके नये पदस्थापन स्थान में योगदान देने हेतु निश्चित रूप से विरमित कर इसकी सूचना उर्दू निदेशालय को देने का कृपया कष्ट करेंगे।

4/ क्रमांक- 09 को छोड़कर शेष उर्दू अनुवादकों का स्थानांतरण उनके अनुरोध पर किया गया है। अतएव उन्हें बिहार यात्रा-भत्ता नियमावली के नियम- 83 के अनुसार स्थानांतरण यात्रा-भत्ता देय नहीं होगा।

ह०/-

(ब्रजेश मेहरोत्रा)

सरकार के सचिव

ज्ञापाक- 209/रा०, पटना, दिनांक 28/6/2013.

प्रतिलिपि :- सभी सम्बद्ध जिला पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. प्रतिलिपि :- सभी सम्बद्ध कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

3. प्रतिलिपि :- सभी सम्बद्ध अनुमंडल पदाधिकारी/प्रखण्ड विकास पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

4. प्रतिलिपि :- सभी सम्बद्ध उर्दू अनुवादक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ इस निदेश के साथ दी जाती है कि वे 15 दिनों के अन्दर निश्चित रूप से योगदान देकर योगदान सूचना उचित माध्यम से उर्दू निदेशालय को उपलब्ध करायेंगे।

(मो० बशीर)
28/6/13

(मो० बशीर)
उप निदेशक (उर्दू)

19/4/13
28/6/13